शामिल नहीं की गई थी । त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानकों के अनुसार इन 5 नई परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनाएं ही ऋण प्राप्त करने की पात्र थी । अतः राज्य को 93.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता पहले ही इस कार्यक्रम में शामिल की गई 5 चालू परियोजनाओं के लिए अनुमोदित की गई थी, इसके विपरीत 76.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी । 16.50 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी नहीं की जा सकी चूंकि राज्य ने 198-99 के दौरान बराबर-बराबर का खर्च नहीं किया था और वह धनराशि समाप्त हो गयी । त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानकों के अनुसार राज्य सरकारों को अधिक परियोजनाओं पर थोड़े-थोड़े संसाधन खर्च करने की बजाए कम परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रोत्सहित किया जा रहा हैं ।

सरदार सरोवर परियोजना की बढ़ती निर्माण लागत

2777. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला** :प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा सरकार सरोवर परियोजना की वासितविक अद्यतन स्थिति क्या हैं,

(ख) क्या सिकी मूलभूत अपेक्षित निर्माण-लागत अधिकतम हो गई हैं और वर्तमान में वित्तीय संसांधन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हैं,

(ग) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान सरकारों के बीच मतभेद होने और तालमेल के अभाव के कारण इस परियोजना को पूरा करना असंभव हो गया हैं, और

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं0 314/94 में 18 फरवरी, 1999 को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें सरदार सरोवर बांध की सुरक्षा के लिए अपेकित हम्पों को छोड़कर बांध की ऊंचाई ई0 एल0 85 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दी गई । गुजरात सरकार ने तदनुसार 19 फरवरी, 1999 से सरदार सरोवर बांध पर कार्य शुरू कर दिया हैं ।

(ख) सरदार सरोवर परियोजना पर निर्माण कार्य 6,406,04 करोड़ रुपये को अनुमोदित अनुमानित लागत (1986-87) के मूल्य स्तर पर) से 24 अप्रैल, 1987 को शुरू किया गया था और परियोजना का संशोधित आंकलन गुजरात सरकार द्वारा बनाया जा रहा हैं।

परियोजना को निधियों के मुख्य स्रोत गुजरात सरकार द्वारा किया गया बजटीय प्रावधान गुजरात सरकार द्वारा किए गए खर्च के विरूद्ध नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार निर्धारित भागीदार राज्यों से प्राप्त सरकार/ सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा निधिया जुटाना हैं । इस परियोजना को विश्व बैंक ऋण के बकाया शेष के स्थान पर भारत सरकार से केन्द्रीय ऋण सहायता और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अंतर्गत सहायता भी प्रापत हो रही हैं ।

(ग) और (घ) परियोजना को सन् 2000 तक पूरा किया जाना था । तथापि, परियोजना का पूरा होना उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित रिट याचिका के निपटान, निधियों की उपलब्धता और नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार पक्षकार राज्यों द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एंव पुनर्स्थापना उपायों के समरूप कार्यान्वयन पर निर्भर करता हैं । मध्य प्रदेश सरकार ने बां को अधिकतम ऊंचाई के बारे में कुछ आपत्तियां कों और 10.3.99 को उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया और इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन हैं । तथापि, नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के प्रेम वर्क के अंदर ही मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

Activitgies of Brahmaputra Board

2778. SHRI PARAG CHALIHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of activities of the Brahmaputra during the preceding three years; and

(b) details of amounts sanctioned and utilised during the said period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) During the years 1996-97, 1997-98 and 1998-99 Brahmaputra Board has completed two main Master Plans for Brahmaputra and Barak and its tributaries These Master plans were approved by he Union Government in July, 1997. Apart from this, the Board has taken up preparation of Detailed Project Reports tor 17 multipurpose projects, survey and

investigation of Master Plan for 13 tributaries and 27 drainage schemes and operationalisation of North Eastern Hydraulic and Allied Research Institute (NEHARI) at Guwahati.

(b) The grant-in-aid provided and utilised by the Board during the above periods in crore of Rupees are 9.15, 12.65 and 12.99 respectively.

Irrigation Facilities in Assam

2779. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the allocation made by the Government for providing irrigation facilities for rural areas of Assam during the last five years and the amount asked for "in the Sate for this purpose during this period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY O)F AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): Plan allocations made to the Government of Assam against the amount asked for providing irrigation facilities through Major, Medium and Minor irrigation projects in the State during the last five years are as under:

Year	Amount asked"* for by the State Government (Rs. in crore)	Amount allocated by Planning Commission (Rs, in crore)
1994-95	63.65	63.65
1995-96	66.00	67.00
1996-97	99.60	99.60
1997-98	104.58	104.58
1998-99	122.59	122.59

In addition to Plan allocations as above, Central Assistaance ha* also been provided to Government of Assam under Million Wells Scheme (MWS) for rural poor for creation of assets in the form of open or dug wells/irrigation sources. The details of Central allocation to the Government of Assam during the last *3* years are as under:

Year	Cental allocation (Rs. in crore)
1996-97	11.44
1997-98	11.44
1998-99	32.38

Creation of Garland Canal

2780. SHRI O. P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether the annually recurring devasting floods in different rivers of the country cause incalculable loss of life, property, cattle heads and crops, besides creating serious health hazards;

(b) whether some years ago there was a proposal to create a "Garland Canal" by interlinking all the major rivers of the country with the twin objectives of solving the flood problem as well as of channelizing water resources for human benefit; and

(c) whether Government propose to revive that proposal now and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER/OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) Floods of varying intensities occur in most of the rivers of the country every year causing loss of life, property, cattle heads and crops.

(b) Yes, Sir.

(c) The Government does not propose to revive the Garland Canal proposal. Two Committees' comprising Experts from Central Water Commission and State Governments and Professors from technical institutions examined the proposal and found it to be impractical and economically prohibitive.